उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार

तीर्थाटन के सम्बन्ध में आचरण संहिता
(Code of Conduct for Teerthatan)

प्रस्तावना *(Introduction)*

भारत में आध्यात्मिकता, धार्मिक आस्था एवं पवित्र स्थलों के अनेक केन्द्र स्थित हैं। इसलिए भारत देश को तीर्थों की भूमि (*Land of Teertha*) कहा जाता है। तीर्थ शब्द 'तृ' धातु से थक् प्रत्यय लगने से निष्पन्न होता है, जिसका अर्थ है यथा– मार्ग, रास्ता, घाट, नदी में उतरने का स्थान, पवित्र स्थान, जलस्थान, मन्दिर आदि जो किसी पुण्य कार्य के लिये अर्पित कर दिया गया हो।[1] शास्त्रों में गुरु, आचार्य, उपाध्याय आदि को भी तीर्थ बताया गया है।[2]

शास्त्रों में तीर्थ का अर्थ स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि *तरति अनेन इति तीर्थम्* अर्थात् जिससे मनुष्य सफलतापूर्वक अपने जीवन के पार चला जाता है या तर जाता है, उसे तीर्थ कहते हैं।[3] *तरति पापादिकं यस्मात्* अर्थात् जिसके द्वारा मनुष्य पापादि कर्मों से मुक्त हो जाए, उसे तीर्थ कहते हैं।[4]

तीर्थ का महत्त्व (*Significance of Teertha*)

महाभारत के वनपर्व में तीर्थयात्रा के महत्त्व को स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि मनुष्य को तीर्थयात्रा से प्राप्त पुण्य विभिन्न यज्ञों से प्राप्त पुण्य की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं।[5] पद्मपुराण में कहा गया है कि विधि पूर्वक तीर्थों का दर्शन करने से पाप उसी प्रकार भस्म हो जाते हैं, जिस प्रकार अग्नि के द्वारा ईंधन।[6] विष्णुधर्मोत्तर पुराण में भी वर्णित है कि जब तीर्थयात्रा की जाती है तो पापी के पाप कटते हैं, सज्जन की धर्मवृद्धि होती है तथा सभी वर्णों एवं आश्रमों के लोगों को तीर्थ फल प्राप्त होता है।[7]

वर्तमान परिदृश्य *(Present Scenario)*

विगत कुछ दशकों से देखने में आया है कि भारतीय समाज का एक बड़ा वर्ग अपनी गौरवशाली संस्कृति एवं इतिहास के प्रति उदासीन होता जा रहा है। आध्यात्मिक स्थलों की स्थापना की मौलिकता, प्रासंगिकता, उद्देश्य एवं तीर्थाटन की विधि से समाज की अनभिज्ञता इसे और अधिक चिन्तनीय बना रही है। स्थिति अधिक कष्टकारी तब हो जाती है, जब जनमानस इस अनभिज्ञता को सार्वजनिक रूप में दम्भ के साथ प्रदर्शित कर गौरव की अनुभूति करता है। यह भी देखा गया है कि अनेक बार व्यक्ति इन पवित्र आध्यात्मिक स्थलों की शुचिता (sanctity) को भंग करने में भी संकोच नहीं करता है।

प्रथम दृष्ट्या व्यक्ति की यह अनभिज्ञता उस पवित्र स्थल की गरिमा को प्रभावित करती दिखाई देती है परन्तु उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय का यह अभिमत है कि व्यक्ति के इस अमर्यादित व्यवहार का दुष्प्रभाव केवल किसी राज्य विशेष की गरिमा पर ही आघात नहीं करता अपितु इससे अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्पूर्ण देश की सांस्कृतिक छवि (cultural identity) धूमिल होती है।

सर्वविदित है कि तीर्थाटन से मनुष्य के पाप कटते हैं परन्तु हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि तीर्थस्थल पर किये गए अनुचित कर्म एवं उनसे अर्जित पाप अकाट्य अर्थात वज्रलेप (cemented) हो जाते हैं।[8]

ऐसा भी दृष्टिगत होता है कि समाज में ऐसे अनेक व्यक्ति एवं परिवार हैं जो मर्यादित एवं शास्त्र सम्मत तीर्थाटन करना तो चाहते हैं, परन्तु तीर्थाटन की नियमावली सहज एवं बोधगम्य रूप में उपलब्ध न होने के कारण अज्ञानतावश वे तीर्थ की मर्यादा के विरुद्ध आचरण कर जाते हैं। इसका कारण यह होता है कि व्यक्ति तीर्थाटन एवं पर्यटन के मध्य भेद नहीं कर पाता है। ऐसी स्थिति में यह आवश्यक हो जाता है कि तीर्थाटन एवं पर्यटन के मध्य शास्त्र सम्मत विभेद एवं

सम्बन्धित आचरण संहिता (code of conduct) का निर्माण किया जाए, जिसके क्रियान्वयन से तीर्थ स्थलों की मर्यादा भी बनी रहे तथा तीर्थ यात्री को अभीष्ट (मनोवांछित फल) की प्राप्ति भी हो सके।

तीर्थाटन के सम्बन्ध में आचरण संहिता (Code of Conduct for Teerthatan)

क्या करें ? **Dos**

1. तीर्थ में श्रद्धा और तीर्थ माहात्म्य में विश्वास रखना चाहिए।[9]
- One should have devotion and faith in the greatness of pilgrimage.
2. मन एवं इन्द्रियों पर संयम रखना चाहिए।[10,11]
- One should practice self-restraint over the mind and senses.
3. तीर्थ में आराध्य देव का ध्यान करते हुए ऋषियों एवं गुरुजनों की संगत करनी चाहिए।[12]
- While remembering the revered deity, one should seek the company of sages and gurus during pilgrimage.
4. तीर्थ में पैदल यात्रा को परम तप कहा गया है।[13]
- Travelling on foot to a pilgrimage is considered to be the highest form of penance.
5. तीर्थ में स्वाध्याय, तपश्चर्या, सन्ध्योपासना, हवन आदि करना चाहिए।[14]
- One should engage in self-study, penance, evening prayers, fire rituals (hawan) etc. during the pilgrimage.
6. आहार–विहार में संयम रखना चाहिए।[15]
- One should practice moderation in eating habits and lifestyle.
7. 'जो प्राप्त है–वह पर्याप्त है' की भावना को आत्मसात् करते हुए तीर्थयात्री को सन्तोषी होना चाहिए।[16]
- A pilgrim should cultivate the gesture of contentment by embracing the feeling that 'whatever is available is sufficient'.
8. अपने कार्यों के लिए स्वावलम्बी होना चाहिए।[17]
- One should be self-reliant in carrying out one's own tasks.
9. तीर्थ में सर्वदा सत्य बोलना चाहिए।[18]
- One should always speak the truth at pilgrimage.
10. तीर्थयात्री को सभी प्राणियों के प्रति मैत्री, अहिंसा एवं आदर का भाव रखना चाहिए।[19]
- A pilgrim should harbour feelings of kindness, non-violence and respect towards all living beings.
11. तीर्थयात्री को यथा शक्ति दीन–दुखियों की अन्न, वस्त्र आदि से सहायता करनी चाहिए।[20]
- A pilgrim should, as per his/her ability, help the needy and destitute with food, clothing and other necessities.

क्या न करें ? **Don'ts**

1. शास्त्रों के अनुसार गौ–वंश तथा अश्व–वंश द्वारा की गयी तीर्थयात्रा निष्फल हो जाती है। किसी व्यावसायिक व्यक्ति (नरयान, डोली, पालकी) के माध्यम से तीर्थयात्रा करने पर तीर्थयात्री को आधा फल प्राप्त होता है।[21]
- According to the scriptures, a pilgrimage undertaken using cattle or horses bears no fruit. If a pilgrimage is undertaken through a commercial person, the pilgrim receives only half of the spiritual benefit.
2. तीर्थ में अभक्ष्य वस्तुएं यथा– मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन, नशीली वस्तुएं आदि का सेवन कदापि नहीं करना चाहिए।[22,23]
- One must never consume forbidden items such as meat, alcohol, onions, garlic, intoxicating substances etc. during pilgrimage.

3. तीर्थ यात्रा में जूते का प्रयोग वर्जित है। तीर्थयात्रा में जूते का प्रयोग करने से चतुर्थांश फल की प्राप्ति का उल्लेख शास्त्रों में मिलता है।[24]

- The use of shoes during a pilgrimage is prohibited. The scriptures decree that wearing shoes during a pilgrimage results in receiving only one-fourth of the spiritual benefit.

4. अपवित्र हाथों को गंगा, यमुना जैसी पवित्र नदियों सहित तीर्थ के जल से कदापि नहीं धोना चाहिए।[25]

- One must never wash impure hands in the sacred water of pilgrimages, including the holy rivers like Ganga and Yamuna.

5. तीर्थ में गये हुये तीर्थयात्री द्वारा दान लेना अत्यन्त अनुचित माना गया है, जो तीर्थ में लोभवश दान लेता है उसका यह लोक तथा परलोक दोनों ही नष्ट हो जाते हैं।[26,27]

- It is considered highly inappropriate for a pilgrim to accept donations during a pilgrimage. A person who accepts charity out of greed at a pilgrimage site loses both this world and the afterlife.

6. तीर्थयात्रा पति–पत्नी को परस्पर सहमति से करनी चाहिए अर्थात् पत्नी के बिना तीर्थ यात्रा नहीं करनी चाहिए अन्यथा तीर्थयात्रा का फल प्राप्त नहीं होता है।[28]

- A pilgrimage should be undertaken by husband and wife with mutual consent, meaning one should not embark on a pilgrimage without one's spouse; otherwise, the pilgrimage does not yield its spiritual benefit.

7. पवित्र तीर्थों में छुआ–छूत का विचार मन में नहीं रखना चाहिए।[29,30]

- One should not harbour thoughts of untouchability at holy pilgrimage sites.

8. तीर्थयात्री को तीर्थ स्थानों की गरिमा के प्रतिकूल परिधान धारण नहीं करना चाहिए।[31]

- A pilgrim should not wear clothing that is inappropriate or disrespectful to the sanctity of the pilgrimage site.

9. तीर्थों के जल में कपड़ा धोना, जल पीटना, उसे तैर कर पार करना, रति क्रिया, हँसी–मजाक करना, मैल छुड़ाना आदि कृत्य निषिद्ध बताये गये हैं।[32]

- Activities such as washing clothes, splashing water, swimming across the sacred waters, indulging in sexual acts, joking, scrubbing off body dirt etc. in the holy pilgrimage water are strictly forbidden.

10. तीर्थयात्री को तीर्थयात्रा के समय दूसरे तीर्थ की महिमा के प्रति अनुराग नहीं रखना चाहिए।[33]

- During a pilgrimage, one should not show attachment to the glory of another pilgrimage.

11. तीर्थयात्री को अश्रद्धावान्, सुरापायी, नास्तिक, संशयात्मा, हेतुद्रष्टा/कुतर्की नहीं होना चाहिए।[34]

- A pilgrim should not be faithless, alcoholic, atheist, skeptical, overly logical or argumentative.

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची :–

1. संस्कृत हिन्दी कोश, वामन शिवराम आप्टे, चौखम्बा विद्या भवन, वाराणसी, वर्ष–2007, पृ0–431
2. कल्याण तीर्थांक 31वें वर्ष का विशेषांक, गीताप्रेस, गोरखपुर, संस्करण सम्वत् 2066, पृ0–612, 636
3. भारत में दिगम्बर जैन तीर्थ, चतुर्थ भाग, बलभद्र जैन, भारतवर्षीय दिगम्बर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी, हीराबाग, बम्बई–4, 1978, पृ0–09
4. कल्याण तीर्थांक 31वें वर्ष का विशेषांक, गीताप्रेस, गोरखपुर, संस्करण सम्वत् 2075, पृ0–749
5. महाभारत वनपर्व, द्वितीय खण्ड, अध्याय–82, श्लो. सं0–19, गीताप्रेस, गोरखपुर, संस्करण संवत् 2023, पृ0–1174
6. श्रीपद्मपुराणम्, चतुर्थ भाग, पातालखण्ड, सम्पादक एवं टीकाकारः आचार्य शिवप्रसाद द्विवेदी, 19वां अध्याय, श्लो. सं.–16–18, चौखम्बा सुरभारती प्रकाशन, वाराणसी, संस्करण–2015, पृ0–1875–76
7. श्रीविष्णुधर्मोत्तर महापुराणम् तृतीय खण्ड, सम्पादक एवं टीकाकारः आचार्य शिवप्रसाद द्विवेदी, 273वां अध्याय, श्लो. सं.–7 एवं 9, चौखम्बा सुरभारती प्रकाशन, वाराणसी, संस्करण–2016, पृ0–1776
8. श्री स्कन्दपुराणम्, पंचम भाग, श्री आवन्त्यखण्ड, श्री रेवा खण्ड–3, अध्याय 31, श्लो.सं0 47, नाग पब्लिशर्स, 11–ए, जवाहर नगर, दिल्ली–2011, पृ0–207

9. महाभारत वनपर्व, द्वितीय खण्ड, अध्याय–93, श्लो. सं0–20, गीताप्रेस, गोरखपुर, संस्करण संवत् 2023, पृ0–1224
10. श्री स्कन्दपुराणम्, पंचम भाग, श्री आवन्त्यखण्डः श्री रेवा खण्ड, अध्याय 227, श्लोक सं.–29–30, नाग पब्लिशर्स, 11–ए, जवाहर नगर, दिल्ली–2011, पृ0–335
11. महाभारत वनपर्व, द्वितीय खण्ड, अध्याय–93, श्लो. सं.–23, गीताप्रेस, गोरखपुर, संस्करण संवत् 2023, पृ0–1224
12. केदारखण्ड पुराण, चतुर्थ खण्ड, सं. डॉ. कृष्ण कुमार, प्रा.वि.सं. हरिद्वार, 2002, पृ0सं0–252
13. श्रीपद्मपुराणम्, चतुर्थ भाग, पातालखण्ड, सम्पादक एवं टीकाकारः आचार्य शिवप्रसाद द्विवेदी, 19वां अध्याय, श्लो. सं.–25–26, चौखम्बा सुरभारती प्रकाशन, वाराणसी, संस्करण–2015, पृ.सं.–1876
14. कल्याण तीर्थांक 31वें वर्ष का विशेषांक, गीताप्रेस, गोरखपुर, संस्करण सम्वत् 2075, पृ0–737
15. कुम्भपर्व–माहात्म्य, वेदाचार्य पं0 श्री वेणी राम शर्मा गौड, कृष्ण गोपाल केडिया, वणिक प्रेस, साक्षी विनायक, बनारस, वर्ष 1948, पृ.–27
16. योग0 02/32
17. कल्याण तीर्थांक 31वें वर्ष का विशेषांक, गीताप्रेस, गोरखपुर, संस्करण सम्वत् 2075, पृ0–758
18. वायुपुराण, अनुवादकः रामप्रताप त्रिपाठी शास्त्री, अध्याय–105, श्लो. 41, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग, इलाहाबाद, संस्करण चतुर्थ 2015, पृ.–958
19. कल्याण तीर्थांक 31वें वर्ष का विशेषांक, गीताप्रेस, गोरखपुर, संस्करण सम्वत्, 2075, पृ0–742, 760
20. कुम्भपर्व–माहात्म्य, वेदाचार्य पं0 श्री वेणीराम शर्मा गौड, कृष्ण गोपाल केडिया, वणिक प्रेस, साक्षी विनायक, बनारस, वर्ष 1948, पृ.–28
21. वीरमित्रोदय तीर्थप्रकाश, महामहोपाध्याय, श्रीमित्र मिश्र, खण्ड–7, चौखम्बा संस्कृत सीरीज ऑफिस, बनारस, वर्ष–1917, पृ0–34
22. श्रीमद्देवीभागवत महापुराण, प्रथम खण्ड, तृतीय स्कन्ध, अष्टम अध्याय, श्लो. सं. 22, गीताप्रेस, गोरखपुर, संस्करण सम्वत् 2067, पृ. 280
23. महाभारत वनपर्व, द्वितीय खण्ड, अध्याय– 92, श्लो. सं.– 20, गीताप्रेस, गोरखपुर, संस्करण संवत् 2023, पृ0–1222
24. कुम्भपर्व–माहात्म्य, वेदाचार्य पं0 श्री वेणी राम शर्मा गौड, कृष्ण गोपाल केडिया, वणिक प्रेस, साक्षी विनायक, बनारस, वर्ष 1948, पृ.–28
25. कल्याण तीर्थांक 31वें वर्ष का विशेषांक, गीताप्रेस, गोरखपुर, संस्करण सम्वत् 2066, पृ0–605
26. कल्याण तीर्थांक 31वें वर्ष का विशेषांक, गीताप्रेस, गोरखपुर, संस्करण सम्वत् 2066, पृ0–617
27. महाभारत वनपर्व, द्वितीय खण्ड, अध्याय–94, श्लो. सं0–15,16, गीताप्रेस, गोरखपुर, संस्करण संवत् 2023, पृ0–1226
28. श्रीपद्मपुराणम्, द्वितीय भाग, भूमिखण्ड, सम्पादक एवं टीकाकारः आचार्य शिवप्रसाद द्विवेदी, 59वां अध्याय, श्लो.सं. –34, चौखम्बा सुरभारती प्रकाशन, वाराणसी, संस्करण–2015, पृ.सं.–1119
29. बृहस्पति कल्पतरु शुद्धि, पृ. 169, स्मृतिच0 1, पृ0–122
30. महाभारत वनपर्व, द्वितीय खण्ड, अध्याय–93, श्लो. सं.–22, गीताप्रेस, गोरखपुर, संस्करण संवत् 2023, पृ0–1224
31. वायुपुराण, अनुवादकः रामप्रताप त्रिपाठी शास्त्री, अध्याय–110, श्लो. सं.– 2–3, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग, इलाहाबाद, 2015, पृ.–992
32. ब्रह्माण्डपुराण, रघुनन्दन– प्रायश्चित्ततत्व 1/535, कल्याण तीर्थांक के पृ. 748 पर उद्घृत
33. स्कन्दपुराण काशीखण्ड, 27/80
34. वायुपुराणम् उत्तरार्ध, व्याख्याकारः शिवजीत सिंह, अध्याय–15, श्लो. सं.– 125,127, चौखम्बा विद्याभवन, वाराणसी संस्करण, 2020, पृ.–617